



INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE AND GOVERNANCE

E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2020; 2(2): 25-29
Received: 13-05-2019
Accepted: 17-06-2019

संतोष कुमार

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान,
स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान
विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध
गया, बिहार, भारत

पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण

संतोष कुमार

DOI: <https://doi.org/10.33545/26646021.2020.v2.i2a.51>

प्रस्तावना

सुशासन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक आधी आबादी को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो जाता है। इस दिशा में पंचायती राज व्यवस्था कारगर और सार्थक भूमिका अदा कर सकती है। महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की विशेष भूमिका है, क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से पंचायती राज मील का पत्थर साबित हो रहा है।^[1]

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी एवं सतत प्रक्रिया

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। उनमें इस प्रकार की क्षमता का विकास करना जिससे वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकें एवं उनके अन्दर आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत हो। महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है।^[2] इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं सम-समाज की स्थापना करना है क्योंकि लैंगिक समता को सुशासन की कुंजी कहा जाता है। सुशासन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक आधी आबादी को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो जाता है। इस दिशा में पंचायती राज व्यवस्था कारगर और सार्थक भूमिका अदा कर सकती है। महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की विशेष भूमिका है क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक एवं संस्थागत स्तर पर बदलाव आया है तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। कई अध्येता इसे नारीवादी क्रान्ति का नाम देते हैं क्योंकि इसका परिप्रेक्ष्य बहुत व्यापक है।^[3]

पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप

स्वायत्तशासी संस्थायें लोकतंत्र का मूल आधार हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी मानी जाती है जबकि देश के निचले स्तरों तक लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रसार किया जाये एवं उन्हें स्थानीय विषयों का प्रशासन चलाने में स्वतन्त्रता प्राप्त हो। वस्तुतः ये संस्थायें ही लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला एवं लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रत्याभूति हैं। स्थानीय संस्थायें सरकार के दूसरे अंगों से बढ़कर जनता को लोकतंत्र की सुरक्षा देती हैं। पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप है, जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके पूर्व-निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास किये जाते हैं। अच्छी शासन-व्यवस्था के मुख्य लक्ष्यों के अन्तर्गत व्यवस्था को अधिकाधिक क्षमतावान बनाने हेतु जन आवश्यकताओं को पूर्ण करना, जन समस्याओं का निराकरण, तीव्र आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुधरों की निरन्तरता, वितरणात्मक न्याय एवं मानवीय संसाधनों का विकास आदि शामिल हैं।^[4] पंचायती राज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण उद्योगों का विकास, परिवार कल्याण कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम, पशु संरक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था आदि का उचित प्रबन्धन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करना भी पंचायती राज का मौलिक उद्देश्य है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में उदारवादी लोकतन्त्र अपनाया। भारतीय लोकतन्त्र पूर्णतः ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर आधारित है, किन्तु इसमें कुछ भारतीय मूल्यों का भी समावेश किया गया है। प्राचीन काल में जिस पंचायती राज की व्यवस्था का विकास हुआ था, उसका स्वरूप राजनीतिक कम, सामाजिक अधिक था। ग्राम पंचायतें गाँवों के सम्पूर्ण जीवन को दिशा देती थीं तथा भारतीय ग्रामीण जीवन स्वावलम्बी था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान निर्माताओं ने गाँवों में पंचायतों को पाश्चात्य लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर गठित करने की संविधान में व्यवस्था की।

Corresponding Author:

संतोष कुमार

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान,
स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान
विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध
गया, बिहार, भारत

संविधान में एक निर्देश समाविष्ट किया गया, “राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों” इस अनुच्छेद का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु राज्यों की निर्देशित करना है।^[5] भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी राज्य को स्थानीय परिषद के स्तर पर लोकतंत्रा की स्थापना की सलाह दी एवं यह संप्रीक्षित किया कि— “हम भारत के लोग” शब्द मात्रा एक संवैधानिक मंत्र ही नहीं है, वरन् इसका तात्पर्य पंचायत स्तर से प्रारम्भ होकर उपरी स्तर तक के उन लोगों से है जो “भारत की शक्ति के धारक है”

आरम्भ में गाँवों एवं नगरों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में इन संस्थाओं की सक्रिय भूमिका रही, लेकिन कालांतर में ये संस्थायें निष्क्रिय होती चली गईं एक समय ऐसा आया कि ये संस्थायें मृत प्रायः सी हो गईं एक तरफ लंबे समय तक इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए तो दूसरी तरफ महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों को सत्ता में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया इसका मुख्य कारण राज्यों में छिन्न-भिन्न कानून होना और उन पर केन्द्र का नियन्त्रण न होना रहा संविधान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का नीति-निर्देशक तत्व सुनिश्चित होते हुए भी ये संस्थायें उपेक्षित सी रहीं अतएव इन्हें संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता अनुभव की गई इसके लिए सन् 1989 में 64वें संविधान संशोधन के रूप में पंचायती राज विधेयक लाया गया पर वह पारित नहीं हो सका अंततः संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।^[6] पंचायती राज की स्थापना के उद्देश्य एवं भारतीय सन्दर्भ में इसके विकास के संक्षिप्त विवरण के साथ-साथ पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका के विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है विश्व आज सहस्राब्दिक परिवर्तनों की ऐसी दहलीज पर खड़ा है, जहाँ उसे चयन और चुनौतियों की व्यूह-रचना का सामना करना पड़ रहा है विश्व को आज मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों की प्रकार के परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा है मात्रात्मक परिवर्तनों का सम्बन्ध आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ है, जबकि गुणात्मक परिवर्तनों का सम्बन्ध भिन्न मूल्यों और लोकाचार से अनुशासित नये समाज के प्रतिमान के साथ है, जहाँ मनुष्य ‘परभक्षी’, प्रदूषक और उपभोक्ता की बजाय ‘संरक्षक तथा उत्पादक’ की भूमिका का निर्वाह करें इन परिस्थितियों में, महिलाओं से इस शताब्दी के अन्तिम दौर में एक विशेष प्रकार की भूमिका की अपेक्षा की जा रही है महिलाओं के बारे में अध्ययनों और आंदोलनों का केन्द्र बिन्दु अब मानव हित में ‘नारी-मुक्ति’ से हट कर ‘महिलाओं को अधिकार’ देने पर केंद्रित हो गया है।^[7] विकास और आधुनिकीकरण के साथ-साथ लिंग समानता की अवधारणा को सामाजिक परिवर्तन का सर्वप्रमुख मुद्दा माना जा रहा है महिलाओं को न केवल आर्थिक विकास में समान भागीदारी बनाने पर बल दिया जा रहा है, अपितु इन्हें प्रत्येक मोर्चे पर ‘समान’ समझने की आवश्यकता महसूस की जा रही है इसके साथ-साथ महिलाओं की पुरुषों के समान राजनीतिक सहभागिता का प्रश्न भी विश्व की आधुनिक सभ्यता का सर्वप्रिय चर्चित विषय है।

महिलाओं को समान अधिकार

महिलाओं को अधिकार देने की अवधारणा विकासशील समुदायों में भी अधिक लोकप्रिय हैं विकासशील देशों का नारी आन्दोलन मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर आधारित है भारत भी इसका अपवाद नहीं है भारत में संविधान लागू होते ही महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार एवं नागरिक स्वतन्त्रता मिल गईं हमारे संविधान में न केवल कानून के सामने समानता और समान कानूनी संरक्षण की गारण्टी दी गई है, बल्कि राज्य को ऐसे

अधिकार भी दिये गये हैं कि वह भारत में महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने के लिये रचनात्मक उपाय करें संविधान में इस बात की गारंटी भी दी गई है कि सार्वजनिक नियुक्तियों में समानता बरती जायेगी और साथ ही प्रत्येक नागरिक का यह मूलभूत कर्तव्य बताया गया है कि वह महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल पंक्तियों का त्याग करें।^[8]

संवैधानिक आदेश को पूरा करने के लिये भारतीय संसद ने अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, चिन्तन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतन्त्रता प्रदान करने, सामाजिक स्तर और अवसर की समानता देने और सभी नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर विभिन्न कानून बनाये हैं संसद ने महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव दूर करने और उन पर अत्याचार एवं हिंसा की रोकथाम के विरुद्ध विधायी प्रस्ताव भी पारित किये हैं कानून के ढाँचे में महिलाओं और उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया है इस प्रकार भारत का संविधान नारी हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।^[9]

पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाएँ

भारत में सरकार का बुनियादी दृष्टिकोण, सामाजिक क्षेत्रा में कल्याण नीतियों के तहत महिलाओं को लक्ष्य बनाने का रहा है 1974 तक की पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाएँ सम्बन्धी मुद्दों में कल्याणोन्मुखी पहलू पर बल दिया गया पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के ‘कल्याण’ की बजाय उनके ‘विकास’ पर बल दिया जाने लगा छठी पंचवर्षीय योजना में, महिलाओं के विकास के बारे में पृथक अध्याय जोड़ा गया, जिसमें उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के उपाय किये गये सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर को उँचा उठाने तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत विशेष कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लाभ से महिलायें वंचित न रहें इस प्रकार ‘विकास’ की बजाय महिलाओं को ‘अधिकार’ प्रदान करने पर बल दिया गया।^[10] सरकार द्वारा कई विशेष नीतियाँ महिलाओं के लिये अपनाई गईं योजनागत खर्च में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिये चार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर लगभग 20 अरब रुपये हो गया। सरकार द्वारा नियोजन के अतिरिक्त किये गये प्रयासों द्वारा भी महिलाओं के उत्थान, विकास एवं समस्याओं के निस्तारण के प्रयास किये गये। भारत में प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों, संसाधन एवं अधिकार वितरण पंक्तियों और श्रेणीबद्ध समानीकरण की प्रक्रिया के बारे में कुछ बुनियादी मुद्दे उठाये स्वतन्त्रा रूप से महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना की गई महिलाएँ सम्बन्धी राष्ट्रीय परिदृश्य योजना तैयार की गई महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों से सम्बंधित मामलों पर निगरानी रखने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई महिलाओं के लिए सबसे शानदार उपलब्धि है 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन विधेयक, जिनके माध्यम से सभी ग्रामीण और शहरी निकायों में महिलाओं के लिये स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं।^[11]

संविधान का 73वाँ संशोधन एवं महिला सशक्तिकरण

सौभाग्य की बात है कि भारत में पंचायतों के तीसरे चरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं को अधिकार प्रदान करना है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कम से कम एक तिहाई महिलायें

सभी स्थानीय स्व-शासकीय निकायों तथा पंचायतों के स्तर पर निर्वाचित होंगी जिनमें पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख जिला परिषद् – सभी स्तर शामिल हैं इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है किसी पंचायती राज संस्था में जितने सदस्य इस वर्ग के होंगे उनका एक तिहाई महिलाओं के लिये आरक्षित किया गया है उदाहरणार्थ यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों की संख्या 9 है तो, 3 स्थान उस वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे, लेकिन ये आरक्षित पद महिलाओं के कुल आरक्षित पदों में सम्मिलित माने जायेंगे इस प्रकार यह विधेयक राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कर सक्ता में इस वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करता है [12]

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता न सिर्फ उनकी राजनीतिक सहभागिता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुनिश्चित करने की है, बल्कि उनके विकास सम्बंधी उद्देश्यों को कार्यान्वित करने की भी है महिलाएँ पंचायती राज संस्थाओं में निम्न रूपों में सहभागी हो सकती हैं –

1. महिला मतदाता के रूप में,
2. राजनीतिक दलों के सदस्य के रूप में,
3. प्रत्याशियों के रूप में,
4. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य के रूप में और
5. महिला मंडली के सदस्यों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साझेदारी के रूप में

अतः 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा एक मील के पत्थर के समान है इससे पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है [13]

73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों के चुनाव प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद कराना अनिवार्य किया अधिनियम में प्रावधान था कि जो पंचायतें इस अधिनियम के बनने से तुरन्त पहले गठित हुई वे अपना कार्यकाल पूरा कर सकती हैं इस श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम आदि राज्य आते थे शेष राज्यों को 23 अप्रैल, 1994 के तुरन्त बाद चुनाव करा लेने चाहिये थे, किन्तु ऐसा नहीं हुआ मध्य प्रदेश, हरियाणा और त्रिपुरा ही ऐसे राज्य थे जिन्होंने 1994 में पंचायतों के चुनाव कराये अन्य राज्यों ने पंचायतों के चुनाव 1995 के अन्त में और 1996 के दौरान कराये उड़ीसा जैसे राज्य में चुनाव 1997 में हुए पंचायतों के मतदान का प्रतिशत 80 से 90 था यह राजस्थान में 66 प्रतिशत, पंजाब में ग्राम पंचायत स्तर पर 2 प्रतिशत तथा पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर 64 प्रतिशत रहा उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत 60 प्रतिशत था।

उल्लेखनीय है कि महिलाओं के लिये पंचायतों में आरक्षण की घोषणा की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही थीं [14] देश में पंचायतों के तीनों स्तरों पर सदस्य तथा अध्यक्ष के रूप में लगभग 10 लाख महिलायें चुन कर आईं जिनमें से कुछ राज्यों में महिला सरपंचों का प्रतिशत निम्न रहा –

राज्य	महिला सरपंचों का प्रतिशत
राजस्थान	33.36
पश्चिम बंगाल	35.23
त्रिपुरा	33.37
हरियाणा	33.33
मध्य प्रदेश	35.72

राजस्थान सरकार ने पंचायती राज से सम्बन्धित पूर्व के दोनों अधिनियमों, पंचायत राज अधिनियम 1953 एवं पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 को निरस्त कर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के परिप्रेक्ष्य में नया पंचायती

राज अधिनियम, 1994 तैयार कर 23 अप्रैल 1994 से राज्य में लागू कर दिया है अब राज्य की सम्पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था जिसमें 9,187 ग्राम पंचायतें, 237 पंचायत समितियाँ तथा 32 जिला परिषदें शामिल हैं, इसी अधिनियम के प्रावधानों, नियमों एवं उपनियमों के अनुसार लागू किये गए, जिनके अनुरूप वर्ष 1994 के अन्तिम माह में पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों की सभी संस्थाओं के चुनाव कराये गये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद राज्य में कुल 1,19,419 जन-प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आये, जिनमें से 38,791 महिलायें लगभग 15 हजार अन्य पिछड़े वर्ग के, 20,712 अनुसूचित जाति एवं लगभग 18 हजार अनुसूचित जन-जनजाति के जन-प्रतिनिधि हैं राजस्थान के पंचायती राज इतिहास में प्रथम बार इतनी अधिक मात्रा में समाज के इन कमजोर वर्ग के लोगों एवं महिलाओं की राज्य के ग्रामीण विकास में तीनों ही स्तरों पर सहभागिता सुनिश्चित हुई [15]

राजस्थान के साथ-साथ अन्य राज्यों में कई स्थितियों में चुनावी परिणाम महिलाओं की सहभागिता के सम्बंध में, बहुत आशाप्रद रहे हैं 1993 से पहले भी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के चुनावों में महिलायें, उम्मीदवार के रूप में काफी संख्या में भाग लेती थीं आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता को प्रभावकारी बनाने में मदद की इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी शुरू से 15-25 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये निर्धारित की गई थीं उड़ीसा में वहाँ के मुख्यमंत्री श्री बीजू पटनायक ने 73वें संशोधन के पारित होने से बहुत पहले ही पंचायत के चुनाव करा लिये थे और साथ ही महिलाओं के लिये पंचायतों में 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी थी महिलाओं ने न केवल आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में बल्कि आम चुनाव क्षेत्रों में भी बहुत विश्वास के साथ चुनाव लड़ा। बहुत से मामलों में तो निर्वाचित होकर अपने वाली महिलाओं का प्रतिशत कोटे को पार कर गयां हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में कर्नाटक में 43 प्रतिशत, मध्य-प्रदेश में 38 प्रतिशत और पश्चिमी बंगाल में 35 प्रतिशत निर्वाचित स्थानों पर महिलायें हैं।

देश में उड़ीसा पहला राज्य है, जिसने पंचायत में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण उस समय लागू किया था जब केन्द्र सरकार इस विषय पर विचार-विमर्श कर रही थी 11 से 25 जनवरी, 1977 को हुए उड़ीसा के पंचायत चुनावों में जो 5,262 ग्राम पंचायतों, 314 पंचायत समितियाँ तथा 30 जिला परिषदों के लिये सम्पन्न कराये गये, महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला दिखाई दिया इस चुनाव के परिणाम स्वरूप लगभग 30,000 महिलायें निर्वाचित हुईं इस राज्य में महिलाओं के कम साक्षरता स्तर के बावजूद यह उपलब्धि बहुत शानदार बन जाती है। [16]

पश्चिम बंगाल में जहाँ पंचायत निकायों के अंतिम चुनाव 1993 में हुए थे, वहाँ 24,799 महिलायें, पंचायत के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित हुई थी, उनमें से 8 जिला परिषदों की, 91 पंचायत समितियों की और 191 ग्राम पंचायतों की अध्यक्ष थीं।

हिमाचल प्रदेश में 2,877 ग्राम पंचायतों के चुनाव 1995 में हुए जिनमें 970 महिलायें प्रधान / चैयरमैन के रूप में चुन कर आईं। हरियाणा में पहली बार महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में विभिन्न पदों को प्राप्त किया गया यह संख्या पंचों की 17,918, सरपंच 1978, पंचायत समिति सदस्य 806, पंचायत के चैयरमैन 37, सदस्य जिला परिषद 103 और जिला परिषद के चैयरमैन 5 रहीं।

कर्नाटक में हुए चुनावों में 640 ग्राम पंचायतों में 80,627 सीटों में महिलाओं का प्रतिशत 43.77 रहा इस प्रकार से कुल मिलाकर सभी राज्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रहा

महिलाओं की सहभागिता एवं समस्यायें

पूरे देश में पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है किन्तु यह तर्क भी ध्यान देने योग्य है कि विधानमात्रा से बदलाव नहीं लाया जाता है भारतीय समाज का ढाँचा इस प्रकार का है कि महिलाओं को हमेशा से दबाकर रखा गया था, अतः निरक्षरता, गरीबी तथा परम्परा के बंधनों को तोड़ना मुश्किल होते हुए भी जरूरी था नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एवं योगदान में क्रियान्वयन के स्तर पर कई समस्यायें उजागर हुई हैं, इनका विश्लेषण निम्न रूपों में किया जा सकता है [17]

हर्ष की बात है कि बिहार राज्य में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है बिहार में महिलाओं की भारी भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं में देखने को मिलता है वर्तमान में उत्तराखंड, बिहार, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित करीब 14 राज्यों में शहरी निकायों में तथा करीब 17 राज्यों में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है यह सही है कि उनके मार्ग में पूरे देश में जटिल समस्यायें हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

1. शिक्षा का अभाव
2. प्रशिक्षण का अभाव
3. स्थानीय दलालों की भूमिका
4. महिला प्रतिनिधियों के प्रति होने वाली हिंसा
5. सामाजिक समस्याएँ
6. पारिवारिक समस्यायें
7. जाति व्यवस्था
8. वित्तीय समस्या

महिलाओं की भागीदारी को कारगर बनाने के प्रयास एवं सुझाव

1. पंचायत प्रतिनिधियों, विशेषकर महिला प्रतिनिधियों को अपने काम को प्रभावपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिये उनके शिक्षण-प्रशिक्षण के कार्यक्रम और सघन तरीके से चलाये जायें [18] कानूनों, नियमों और ग्रामीण कार्यक्रमों की जानकारीयों तो दी ही जायें, महिलाओं के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर चलाये जाने चाहिये ताकि उनकी अपनी विशिष्ट समस्याओं को वे मूखर होकर उठाये और उनका समाधान किया जाना चाहिये प्रशिक्षण कार्यक्रम सैद्धांतिक कम और व्यावहारिक मुद्दों पर अधिक आधारित होने चाहिये प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुना जाये और उनका सामूहिक हल खोजा जायें अच्छा हो, कुछ ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे जाये जो केवल महिलाओं के लिये ही हों ताकि वे आपस में अपने अनुभव बाँट सकें।
2. पंचायत के कार्य में स्त्रियों की विशेष भूमिका चिन्हित की जाये ताकि दूसरों का दखल उसमें न हों।
3. प्रारम्भ में महिला प्रतिनिधियों को वही कार्य अधिक दिये जायें जिनमें उनकी नैसर्गिक रुचि हो और जिन्हें वे आसानी से पूरा कर सकें।
4. ऐसी कुरीतियों को दूर करने की पहल की जाये जिनका सीधा सम्बन्ध महिलाओं से हो, ताकि उनकी भागीदारी अधिक निर्बाध गति से हो सकें बाद में तो महिलायें ऐसी कुप्रथाओं को स्वयं दूर करने की पहल कर लेंगीं
5. आज के इस तीव्रगति से बदलते युग में सूचना का आदान-प्रदान शीघ्र और अनिवार्य रूप से होना चाहिये पंचायत के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को पंचायत से सम्बन्धित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचानी चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर वे उपलब्ध हो सकें महिला प्रतिनिधियों के लिये यह और भी आवश्यक है क्योंकि उनकी गतिशीलता और बाहरी जन-सम्पर्क पुरुषों की अपेक्षा

कम ही हो पाता है।

6. पंचायत के कार्यों में महिला शिक्षा को सबसे अधिक महत्ता दी जानी चाहिए ताकि निरक्षरता के कारण आ रही बाधाओं को वे आसानी से पार कर सकें [19] धीरे-धीरे महिलाओं को अन्य जटिल कार्य जैसे वित्त-योजना, सतर्कता रक्षा आदि में शामिल करना चाहिये इससे वे अनिवार्य रूप से इन कामों से जुड़ेगीं और समाज की बेहतरी के लिये कार्य कर सकेंगीं।
 7. पंचायतों में महिलाओं के शामिल होने से लड़ाई-झगड़े होने की सम्भावनायें क्षीण होने लगीं हैं इसलिये विलम्ब और अविश्वास से बचने के लिये सरकारी नौकरशाही के तरीके से कार्य करने की अपेक्षा आपसी मेल-जोल, प्रेम और समन्वय का मार्ग अपनाना चाहिये।
 8. 73वाँ संविधान संशोधन दिवस को प्रतिवर्ष प्रत्येक पंचायत में महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में चाहे छोटे स्तर पर ही हो, अवश्य मनाना चाहिये इससे अब तक का लेखा-जोखा सामने आयेगा, महिलाओं के समक्ष आ रही कठिनाइयों को उजागर किया जायेगा, उनका समाधान खोजा जायेगा और भविष्य में कार्य योजना का भी प्रारूप बना लिया जायेगा इस तरह का आयोजन एक नई स्पष्टीकरण और नवीनीकरण लाते हैं, अधिसंख्य लोगों को आपस में मिलाते हैं तथा सौहार्द को बढ़ावा देते हैं इससे महिला सशक्तिकरण को गति मिलेगीं।
 9. महिलाओं के सामने आने से पूरा परिदृश्य बदलने लगा है अब आवश्यकता है पुरुषों को भी इस बदले हुए माहौल में कार्य करने का प्रशिक्षण देने की पुरुषों को चाहिये कि वे महिलाओं के प्रति संवेदनशील होकर बर्ताव करें सामुदायिक सम्पत्तियों पर पफैसले करने में भी स्त्रियों की पूरी भागीदारी होनी चाहिये [20]
 10. महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर भी प्रशिक्षण देना जरूरी है ताकि वे सुविधाओं का ठीक से लाभ उठा सकें।
 11. एक-एक ग्राम पंचायत मजबूत होगी, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होगी तो उसमें बैठी महिला भी मजबूत होगीं। सबसे मुख्य आशंका जो महिलाओं के सशक्तिकरण के सम्बन्ध में शुरू से अब तक प्रकट की जा रही है वह है उनके पद का लाभ उनके परिवार के पुरुष सदस्य उठायेंगे और उन्हें मात्र कठपुतली बनाकर पूरा नियन्त्रण स्वयं रखेंगे जहाँ तक निर्णय लेने में स्वतन्त्रता का प्रश्न है क्या यह पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि पुरुषों के निर्णय लेने में किसी और का नियंत्रण नहीं होता ? वे भी कई दफा अन्य लोगों से नियन्त्रित होते हैं। तो फिर ऐसा कहा जाना कहीं तक संगत है कि चूँकि कुछ महिलायें चंद लोगों के नियंत्रण में रहेंगीं, इसलिये उन्हें पद न दिया जायें बल्कि उनमें आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने की क्षमता का विकास सतत् करते रहना होगा और इस सम्बन्ध में पुरुषों को भी नई व्यवस्था के अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास करना होगा [21]
- नवीन पंचायती राज अधिनियम के कारण आज बिहार समेत पूरे देश में लाखों महिलायें विजयी होकर पंचायतों में नेतृत्व हेतु मैदान में आ गईं हैं परिणामस्वरूप एक ओर पंचायती राज व्यवस्था को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तृतीय सोपान के रूप में संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के अस्तित्व और अधिकार को भी स्वीकार किया गया है। सच तो यह है कि संविधान के नये प्रावधान से महिलाओं में छिपी शक्ति को उजागर करने का सुनहला और सार्थक कदम साबित हुआ है जाहिर है कि नवीन कानून के फलस्वरूप बिहार समेत पूरे भारतवर्ष में जो पंचायत राज चुनाव हुए उसमें लगभग 30 लाख महिलाओं ने भाग लिया। विश्व के किसी अन्य देश में पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं किया गया।

निष्कर्ष

पंचायती राज की नयी व्यवस्था के बाद देश के पारम्परिक पुरुष-प्रधान निर्णय लेने वाले समाज में अब निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं का भी समावेश होने लगा है लेकिन समाज की मानसिकता के चलते अभी भी इस रास्ते में महिलाओं के सामने अनेक कठिनाइयाँ हैं यह सत्य है कि हमारा सामाजिक ढाँचा और उनकी मानसिकता समूचे देश में एक समान नहीं हैं किन्तु यह कहना भी गलत नहीं होगा कि महिलाओं के प्रति सोच में देश के विभिन्न भागों में काफी समानतायें हैं तात्पर्य यह है कि वे अब भी राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ी हैं, पर तेजी से जागरूक हो रही हैं और आगे आ रही हैं नई व्यवस्था 50 प्रतिशत ने उन्हें और प्रेरित किया है

संदर्भ सूची:

1. सीताराम सिंह, 'बिहार में ग्राम पंचायत एवं सुशासन', बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2012, पृ 98
2. ललिता सोलंकी, 'महिला आर्थिक सशक्तिकरण एवं पंचायती राज, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2015, पृ 46
3. सीताराम सिंह, उपरोक्त, पृ 161-162
4. विश्वनाथ गुप्त, 'भारत में पंचायती राज' सुरभि प्रकाशन, दिल्ली, 2015, पृ 19
5. प्रमोद कुमार अग्रवाल, 'भारत में पंचायती राज', ज्ञान गंगा, दिल्ली, 2015, पृ 27
6. विश्वनाथ गुप्त, उपरोक्त, पृ 24
7. सीताराम सिंह, उपरोक्त, पृ 161
8. कुमारी ममता, 'पंचायती राज : महिला सशक्तिकरण यथार्थ के आइने में', भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, अंक द्वितीय, जुलाई- दिसम्बर, 2018, पृ 650
9. विश्वनाथ गुप्त, उपरोक्त, पृ 45
10. सीताराम सिंह, उपरोक्त, पृ 242
11. विश्वनाथ गुप्त, उपरोक्त, पृ 24
12. ललिता सोलंकी, उपरोक्त, पृ 83
13. ललिता सोलंकी, उपरोक्त, पृ 84
14. जोरावर सिंह राणावत, 'सतत ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम बनती महिला सरपंच', कुरुक्षेत्र, सितम्बर 2018, पृ 58-59
15. वही
16. ललिता सोलंकी, उपरोक्त, पृ 82
17. सीताराम सिंह, उपरोक्त, पृ 196
18. ललिता सोलंकी, उपरोक्त, पृ 88
19. कुमारी ममता, उपरोक्त, पृ 650
20. स्वनिल सारस्वत एवं निशांत सिंह, 'समाज, राजनीति और महिलाएँ', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2004, पृ 63
21. सीताराम सिंह, उपरोक्त, पृ 218-219